

9-5-18 पञ्जावली आज वृद्ध कोर्ट छापोली के पेश की
जा.पञ्ज अस्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित वाउ पत्र
का निर्णय हो चुका है। जा.पञ्ज अस्थाई निषेधाज्ञा
का ठाव कोई औचित्य नहीं है। अतः जा.पञ्ज अस्थाई
निषेधाज्ञा को इसी स्तर पर खारिज की जाती है।
पञ्जावली जैसंत अमार एकर नम्बर से इफ्तदा तथा
दाखिल दफ्तर है।

19
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवादी (अ.प.प.)